फर्द अहकाम

नाम न्यायालय [illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या 40/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1-12-22	[illegible] स्थगित हुई। [illegible] पुनर्विचार [illegible] 15/2/22 सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)
	15/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं आये। वकील वादी एवं वादी को कक-कम कर बार-बार आवाज लगवाई गई। तथा अन्तिम बार न्यायालय समय समाप्ति पर पुनः आवाज लगवाई गई इसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। अतः वादी एवं वकील वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी का सादा अदम हाजरी अदम पैरवी पर खारिज किया जाता है। पक्षकारों के प्रतिकूल प्रभाव होकर बाधक है एवं पक्षकार वकील वादी एवं वादी की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र आधार नियम 9 (2/2) अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर